

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के अन्तर्गत मेडिकल बोर्ड राजकीय चिकित्सालय श्री गंगानगर की अभिशंषा के आधार पर श्री गुरप्रीत सिंह, व्या0 हिन्दी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 आर.बी. श्री गंगानगर को दिनांक:-12.04.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) या अधिकतम 600 रू0 प्रतिमाह, दोनों में जो भी कम है, की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।



(नथमल डिडेल)


आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/06-07 दिनांक:-01-08-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर
- 2 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 श्री गुरप्रीत सिंह, व्या0 हिन्दी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 आर.बी. श्री गंगानगर
- 5 प्रधानाचार्य, राउमावि 2 आर.बी. श्री गंगानगर
- 6 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर